18/1/21

पत्रावली बाद जांच रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। अपील अंदर मियाद पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे।

पत्रावली उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा के आदेश दिनांक 15.12.2020 के विरूद्ध पेश की गई है। अधिवक्ता अपीलांट की प्रार्थना पत्र स्थगन पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील मीमो बिंदु संख्या 05 के अंकन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में वाद बउनवान गिर्राज बनाम देवकरण, खातेदारी विभाजन से संबंधित है। विवादित आराजीयात खसरा नंबर 1261 पर अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा में एक वाद बउनवान कर्जाडी बनाम गिर्राज दायर किया हुआ है जिस पर तहत अदालत द्वारा 30.09.2020 को स्थगन आदेश पारित किया हुआ है, इसके बावजूद भी इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना आदेश पारित कर दिया। दावा में स्थगन केवल कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत के लिये है, मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति का नही है। अपीलांट/प्रतिवादी के पास रहने के लिये दो कमरे हैं जो आदेश से पूर्व के ही निर्मित हैं। अतः तहत अदालत के आदेश 15.12.2020 को वाद के अंतिम निर्णय तक प्रचलन से स्थगित किया जावे। यह भी प्रार्थना की गई कि तहत अदालत को निर्देशित किया जावे कि वह उभयपक्षों को सुनकर, साक्ष्य एकत्रित कर पुनः निर्णय पारित करे।

बहस अपीलांट सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा तहत अदालत के आदेश दिनांक 15.12.2020 का अवलोकन किया गया। तहत अदालत द्वारा जारी आदेश 15.12.2020 के विरूद्ध अपील पेश की गई है, जैसा कि कानूनी दृष्टांतों के आधार पर ऐसे आदेशों के विरूद्ध अपील पोषणीय है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रथम दृष्टया ऐसे आदेशों के विरूद्ध पक्षकार को उसी न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये। तहत अदालत को भी किसी भी आदेश के जारी करने से पूर्व प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुये या न्यायालय यदि, न्यायहित में, यह उचित समझे कि सही व वास्तविक तथ्यों को प्रकट करने के लिये मौका रिपोर्ट के आधार पर और इस विवादित आराजीयात से संबंधित सभी वादों को एकजाई कर सुनवाई करना चाहिये।

तहत अदालत द्वारा आदेश दिनांक 15.12.2020 में "सेल्फ स्पीकिंग" आदेश नही है। तहत अदालत द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा 20.06.2018 को भी एक माह की समयावधि में निस्तारण करना चाहिये, परन्तु नही किया गया है।

अतः इन सभी परिस्थितियों में अपीलांट की अपील धारा 151 सीपीसी के अंतर्गत काबिल स्वीकार योग्य है तथा तहत अदालत मालाखेडा का आदेश दिनांक 15.12.2020 निरस्त योग्य है। प्रकरण तहत अदालत को 01 माह में सुनवाई करके पुनः निर्णय गुणावगुण के

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>देवकरण / गिरीश | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | आधार पर पारित करने, रिमाण्ड योग्य है।<br>अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। तहत अदालत का आदेश दिनांक 15.12.2020, विवादित आराजीयात खसरा नंबर 1261 के संबंध में, को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट/प्रतिवादी को सुनकर, मौके की स्थिति के अनुसार 01 माह की अवधि में पुनः निर्णय पारित करे।तहत अदालत को निर्णय की प्रति शीघ्र भिजवाई जावे जिससे पक्षकारों को सुनकर शीघ्र निर्णय किया जा सके।<br>अपील का निस्तारण इसी स्तर पर किया जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज 18.01.2021 को सुनाया गया। | |